न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
40 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	12.04.2016	05.05.2022

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1—श्री नीरज सिंहल पुत्र श्री अमरचन्द सिंहल विक्रेता / मैनेजर मैसर्स जगदीश प्रसाद अमरचन्द छाया मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक निवासी छाया मार्केट जहाजपुर रोड वार्ड न07 देवली जिला टोंक

2—श्री अमरचन्द सिंहल एफ.बी.ओ. मैसर्स जगदीश प्रसाद अमरचन्द छाया मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक

3— मैसर्स जगदीश प्रसाद अमरचन्द छाया मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26की उप धारा (2) (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार उप.।

2—अप्रार्थी नीरज सिंहल स्वयं उप.।

:—निर्णय—: दिनांक **05.05.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.01.2016 को दोपहर 01:50 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स जगदीश प्रसाद अमरचन्द छाया मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ श्री नीरज सिंहल पुत्र श्री अमरचन्द सिंहल उपस्थित थे, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नीरज सिंहल ने स्वयं को मैसर्स जगदीश प्रसाद अमरचन्द छाया मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक का विक्रेता / मैनेजर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र के बारे में पूछने पर आवेदक के समक्ष प्रस्तुत किया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, शक्कर, घी, दाल व तेल तथा अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **तिल ऑयल (लड्डा जी का) गणेश स्वास्तिक ब्राण्ड टिन पैक (Till Oil (Ladda ji ka) Ganesh Swasthik Brand Tin Pack)** जिसके बैच नं. व दिनांक अंकित नहीं था, के 15 किलोग्राम टिन पैक रखे हुये थे, जिसे देखने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ.बी.ओ. को सूचित कर दो प्रतियों में एफ.बी.ओ. श्री नीरज सिंहल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **तिल ऑयल (लड्डा जी का) गणेश स्वास्तिक ब्राण्ड टिन पैक (Till Oil (Ladda ji ka) Ganesh Swasthik Brand Tin Pack)** को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे हैं, 15 किलोग्राम के 1 टिन के ताली लगे ढक्कन को खोलकर 1600 ग्राम एक साफ व सूखे स्टील के जग में बॉट मापक से तुलवाकर वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **तिल ऑयल (लड्डा जी का) गणेश स्वास्तिक ब्राण्ड टिन पैक (Till Oil (Ladda ji ka) Ganesh Swasthik Brand Tin Pack)** मात्रा 1600 ग्राम को 400–400 ग्राम के अलग–अलग चार साफ व सूखे कांच की बोतलों में भरकर बोतलों के ढक्कन को एयर टाईट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1258 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1258 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक द्वारा मौके पर श्री नीरज सिंहल पुत्र श्री अमरचन्द सिंहल से **तिल ऑयल (लड्डा जी का) गणेश स्वास्तिक ब्राण्ड टिन पैक (Till Oil (Ladda ji ka) Ganesh Swasthik Brand Tin Pack)** वारंटी बिल मांगा गया तो श्री नीरज सिंहल ने मौके पर कोई वारंटी बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने नीरज सिंहल पुत्र श्री अमरचन्द सिंहल विक्रेता/मैनेजर मैसर्स जगदीश प्रसाद अमरचन्द छाया मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक द्वारा मौके पर **तिल ऑयल (लड्डा जी का) गणेश स्वास्तिक ब्राण्ड टिन पैक (Till Oil (Ladda ji ka) Ganesh Swasthik Brand Tin Pack)** का वारंटी बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त खाद्य पदार्थ का वारन्टी/खरीद बिल मंगवाने बाबत पत्र प्रेषित किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/1153 दिनांक 11.03.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 / 04 / एक्ट / .2016 / 54 दिनांक 14.01.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **तिल ऑयल (लड्डा जी का) गणेश स्वास्तिक ब्राण्ड टिन पैक (Till Oil (Ladda ji ka) Ganesh Swasthik Brand Tin Pack)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 2(ii) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **तिल ऑयल (लड्डा जी का) गणेश स्वास्तिक ब्राण्ड टिन पैक (Till Oil (Ladda ji ka) Ganesh Swasthik Brand Tin Pack)** विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की दण्डनीय धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री नीरज सिंहल उपस्थित हुए एवं अपना व अपने पिता श्री अमरचन्द सिंहल की ओर से भी जुर्म स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **तिल ऑयल (लड्डा जी का) गणेश स्वास्तिक ब्राण्ड टिन पैक (Till Oil (Ladda ji ka) Ganesh Swasthik Brand Tin Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **तिल ऑयल (लड्डा जी का) गणेश स्वास्तिक ब्राण्ड टिन पैक (Till Oil (Ladda ji ka) Ganesh Swasthik Brand Tin Pack)** नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 धारा 26 की उप धारा 2(ii) तथा धारा 51 के अन्तर्गत अपराध व जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री नीरज सिंहल पुत्र श्री अमरचन्द सिंहल विक्रेता / मैनेजर मैसर्स जगदीश प्रसाद अमरचन्द छाया मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक निवासी छाया मार्केट जहाजपुर रोड वार्ड न07 देवली जिला टोंक पर शास्ति रूपये 35,000 (अक्षरे पैंतीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 05.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0